



## स्टेट ऑफ इंडियाज़ लाइवलीहुड (SOIL) रिपोर्ट 2021: FPOs

### प्रलिस के लयः

कसलन उत्पादक संगठन (एफपीओ), एफपीओ से मलने वाले लाभ, लघु कृषक कृषव्यापार संघ (एसएफएसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), '10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन'।

### मेन्स के लयः

कसलनों की आय दोगुनी करने में एफपीओ की उपयोगता, एफपीओ के सामने आने वाली चुनौतयों और सरकार द्वारा की गई पहल।

## चर्चा में क्यों?

'स्टेट ऑफ इंडियाज़ लाइवलीहुड (SOIL) रिपोर्ट' 2021 में कहा गया है कपछले सात वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत सरलर 1-5% **कसलन उत्पादक संगठनों** (FPO) को फंडगः प्राप्त हुई है।

## प्रमुख बढः

### रिपोर्ट के संबंध में:

- एक्सेस डेवलपमेंट सर्वसिज़ नामक एक राष्ट्रीय आजीविका सहायता संगठन ने SOIL रिपोर्ट तैयार की है।
- इसने केवल कसलन उत्पादक कंपनयों (एफपीसी- कंपनी अधनियम, 2013 के तहत पंजीकृत FPO) का वशिलेषण कयः है कयोंकः वे हाल के वर्षों में शुरु कयः गए संगठनों का एक बड़ा बहुमत है।
  - सहकारी समतयः या समतयः के रूप में पंजीकृत FPO की संख्या बहुत कम है।

### कसलन उत्पादक संगठन (FPOs):

- अवधारणा: 'कसलन उत्पादक संगठन (FPO)' की अवधारणा में उत्पादकों, वशेष रूप से छोटे और सीमांत कसलनों का सामूहिकीकरण शामिल है ताकः सामूहिक रूप से कृषकी कई चुनौतयों जैसे- नवश, प्रौद्योगिकी, इनपुट और बाज़ारों तक बेहतर पहुँच का समाधान करने के लयः एक प्रभावी गठबंधन बनाया जा सके।
  - एफपीओ एक प्रकार का उत्पादक संगठन (PO) है जसके सदस्य कसलन होते हैं।
  - एक PO प्राथमिक उत्पादकों द्वारा गठतः एक कानूनी इकाई है, अर्थात- कसलन, दुग्ध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शलपकारों का समूह।
- स्वैच्छकः संगठन: FPO अपने कसलन-सदस्यों द्वारा नयःतरतः स्वैच्छकः संगठन है जो अपनी नीतयों को नरिधारतः करने और नरःणय लेने में सकरयः रूप से भाग लेते हैं।
  - ये उन सभी वयकृतयों के लयः खुले होते हैं जो अपनी सेवाओं का उपयोग करने में सकषम हैं और बना लैगकः, सामाजकः, नसुलीय, राजनीतकः या धारमकः भेदभाव के सदस्यता की ज़मिंदारयों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं।
- शकषा और प्रशकषण प्रदान करना: FPO संचालक अपने कसलन-सदस्यों, नरःवाचतः प्रतनःधयों, प्रबंधकों और कर्मचारयों के लयः शकषा और प्रशकषण सुवधःा प्रदान करते हैं ताकः वे अपने FPO के विकास में प्रभावी रूप से योगदान कर सकें।

### FPOs का महत्त्व:

- औसत भूमिजोत का घटता आकार: औसत खेत का आकार वर्ष 1970-71 में 2.3 हेक्टेयर (हेक्टेयर) था जो वर्ष 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया। लघु और सीमांत कसलनों की हसःसेदारी वर्ष 1980-81 में 70% थी जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 86% हो गई।
  - FPOs कसलनों को सामूहिक कृषः (Collective Farming) के लयः प्रेरतः कर सकते हैं और छोटे आकार के खेतों की उत्पादकता के मुदों का समाधान प्रसुतुत कर सकते हैं।
  - इसके परणामस्वरूप खेती की बढ़ती गतवःधयों के कारण अतरकःतः रोज़गार सृजन भी हो सकता है।
- कॉरपोरेट्स के साथ बातचीत: FPOs कसलनों को सौदेबाज़ी में बड़े कॉरपोरेट उदयमों के साथ प्रतसःपरद्धा करने में मदद कर सकते हैं, कयोंकः ये सदस्यों को एक समूह के रूप में बातचीत करने हेतु एक मंच प्रदान करते हैं और छोटे कसलनों को इनपुट व आउटपुट दोनों बाज़ारों में मदद कर सकते हैं।
- समुच्चय/समूहन का अर्थशास्त्र: FPO सदस्य कसलनों को कम लागत और गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लयः फसलों हेतु ऋण, मशीनरी की खरीद, इनपुट कृषि-आदान (उर्वरक, कीटनाशक आदः) और कृषः उपज की खरीद के बाद प्रत्यकष

वपिणन की सुवधि।

- यह सदस्यों को समय पर लेन-देन लागत, मूल्यों में उतार-चढ़ाव, परिवहन, गुणवत्ता रखरखाव आदि के मामले में बचत करने में सक्षम बनाएगा।

◦ **सामाजिक प्रभाव:** सामाजिक पूंजी FPOs के रूप में विकसित होगी, क्योंकि इससे FPOs में शामिल महिला किसानों का लैंगिक अनुपात और उनकी नरिणय लेने की क्षमता में सुधार हो सकता है।

- यह सामाजिक संघर्षों को कम कर सकता है और समुदाय में भोजन एवं पोषण मूल्यों में सुधार कर सकता है।

#### ■ FPOs का समर्थन:

◦ **संस्थानों/संसाधन एजेंसियों (RAs) को बढ़ावा:** FPOs को आमतौर पर संस्थानों/संसाधन एजेंसियों (RAs) को बढ़ावा देकर संगठित किया जाता है।

- **लघु कृषक कृषि वियवसाय संघ (SFAC)** एफपीओ को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं।

- संसाधन एजेंसियों, **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक** जैसी एजेंसियों सरकारों से उपलब्ध सहायता का लाभ उठाती हैं।

◦ **10,000 एफपीओ का गठन और संवर्द्धन:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत '10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्द्धन' (FPOs) शीर्षक से केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है।

◦ **इक्विटी अनुदान योजना:** वर्ष 2014 से SFAC द्वारा तीन वर्ष की अवधि के भीतर दो चरणों में अधिकतम 15 लाख रुपए तक इक्विटी अनुदान की पेशकश की गई है।

- पछिले सात वर्षों में सितंबर 2021 तक केवल 735 संगठनों को अनुदान दिया गया जो देश में वर्तमान में पंजीकृत कुल उत्पादक कंपनियों (PCs) का केवल 5% है।

◦ **करेडिट गारंटी योजना:** यह उन बैंकों को जोखिम कवर प्रदान करती है जो FPCs को 1 करोड़ रुपए तक के संपारश्वकिक मुक्त सावधि ऋण (Advance Collateral-Free Loans) प्रदान करते हैं।

- केवल 1% पंजीकृत नरिमाता कंपनियाँ ही इसका लाभ उठा पाई हैं।

#### ■ FPOs के समक्ष चुनौतियाँ:

◦ **व्यावसायिक कौशल का अभाव:** यद्यपि संसाधन एजेंसियों (RAs) में सामान्य रूप से सोशल मोबिलाइजेशन स्कलि होती है लेकिन उनके पास व्यवसाय विकास और वपिणन कौशल की कमी होती है जो एक व्यावसायिक इकाई के रूप में FPOs की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

◦ **अनुपलब्ध आपूर्ति शृंखला संचालन क्षमताएँ:** आपूर्ति शृंखला संचालन में प्रबंधन क्षमताओं, बाज़ार की गतिशीलता, लकिएज की बारीकियाँ, बाज़ार की खुफिया जानकारी तथा FPOs की संरचना एवं कार्यप्रणाली में स्पष्टता और समरूपता का अभाव है।

◦ **व्यावसायिक कौशल का अभाव:** यद्यपि संसाधन एजेंसियों (RAs) में सामान्य रूप से सोशल मोबिलाइजेशन स्कलि होती है लेकिन उनके पास व्यवसाय विकास और वपिणन कौशल की कमी होती है जो एक व्यावसायिक इकाई के रूप में FPOs की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

◦ **अनुपलब्ध आपूर्ति शृंखला संचालन क्षमताएँ:** आपूर्ति शृंखला संचालन में प्रबंधन क्षमताओं, बाज़ार की गतिशीलता, लकिएज की बारीकियाँ, बाज़ार की खुफिया जानकारी तथा FPOs की संरचना एवं कार्यप्रणाली में स्पष्टता और समरूपता का अभाव है।

◦ **वभिन्न विकृतियाँ:** वर्तमान प्रणाली कई बचौलियों जैसी विकृतियों, ऊर्ध्वाधर एकीकरण की कमी (उत्पादन के दो या दो से अधिक चरणों की एक फर्म में संयोजन सामान्य रूप से अलग-अलग फर्मों द्वारा संचालित), कृषि वस्तुओं की आवाज़ाही पर खराब बुनयिदी ढाँचे के प्रतबिंध आदि से ग्रस्त है।

◦ **सीमति बाज़ार विकल्प और पारदर्शिता की कमी:** सीमति बाज़ार विकल्प और पारदर्शिता की कमी किसानों के लिये बेहतर मूल्य प्राप्ति में प्रमुख बाधाएँ रही हैं।

- बचौलियों के वर्तमान चक्रव्यूह को दरकिनार करते हुए सही बाज़ार खोजना महत्त्वपूर्ण है।

- कई FPOs में आपूर्ति-शृंखला के संचालन के प्रबंधन और बिना बिके उत्पादों को संग्रहीत करने की क्षमता का अभाव है।

## आगे की राह:

■ **क्षमता नरिमाण:** FPOs को अन्य बातों के अलावा फंडिंग सुरक्षति रखने, ग्राहकों की पहचान और उनके साथ संबंध स्थापति करने, आंतरिक शासन प्रक्रियाओं को स्थापति करने की आवश्यकता है। इसके लिये उन्हें क्षमता नरिमाण की आवश्यकता होती है ताकि वे स्टार्टअप चरण से विकास के साथ अंततः परपिकवता की ओर बढ़ सकें।

■ **पात्रता के लिये सीमा को कम करना:** FPOs को इक्विटी अनुदान और ऋण प्रदान करने के लिये सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को आसान बनाना आवश्यक है। यह पात्रता के लिये सीमा को कम करके या पात्रता मानदंड तक पहुँचने के लिये FPOs का समर्थन करके या दोनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

■ **संरचनात्मक मुद्दों से नपिटना:** कई FPOs में तकनीकी कौशल की कमी है, अपर्याप्त पेशेवर प्रबंधन, कमज़ोर वित्तीय स्थिति, ऋण, बाज़ार तथा बुनयिदी ढाँचे तक अपर्याप्त पहुँच है।

## स्रोत: डाउन टू अर्थ

